

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 459]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 29 सितम्बर 2020 — आश्विन 7, शक 1942

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 19 अगस्त 2020

अधिसूचना

क्रमांक/पंचा.-307/पंग्राविवि/22/2020/2312(A).— छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा-95 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (स्थायी समिति के सदस्यों की पदावधि और कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा-95 की उप-धारा (3) के द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

- नियम 3 में, उप-नियम (1) में, शब्द “पंचों” के पश्चात्, चिन्ह एवं शब्द “/ग्रामसभा के सदस्यों” का लोप किया जाये।
- नियम 3 में, उप-नियम (2) में,—
(एक) द्वितीय परन्तुक में, कोलन चिन्ह “:” के स्थान पर पूर्ण विराम चिन्ह “।” प्रतिस्थापित किया जाये; और
(दो) तृतीय परन्तुक का लोप किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक चौबे, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 19 अगस्त 2020

क्रमांक/पंचा.-307/पंग्राविवि/22/2020/2312(A).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक/पं.-307/पंग्राविवि/22/2020/2312(A), दिनांक 19-08-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक चौबे, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 19th August 2020

NOTIFICATION

No./Panch.-307/PGVV/22/2020/2312(A).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyum, 1993 (No. 1 of 1994), the State Government, hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh Gram Panchayat (Term of Office of Members of Standing Committee and Procedure for the Conduct of Business) Rules, 1994, the same having been previously published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Adhiniyum, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In rule 3, in sub rule (1), after the word "Pancho", the symbol and words "/ Members of Gram Sabha" shall be omitted.
2. In rule 3, in sub rule (2),-
 - (i) in second proviso, for the punctuation colon ":" the punctuation full stop "." shall be substituted; and
 - (ii) third proviso shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ASHOK CHOUBEY, Deputy Secretary.